"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 261-B] रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 सितम्बर 2011—भाद्र 16, शक 1933

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर, 2011 (भाद्रपद 16, 1933)

क्रमांक-10640/वि.स./विधान/2011.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 17 सन् 2011) जो दिनांक 07 सितम्बर, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 17 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2011

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 3 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 3 की उप-धारा (1), (2) एवं (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारायें प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(1) **वार्षिक लक्ष्य :—** राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा निम्नानुसार रखेगी—

2011-12	—	शून्य
2012-13	—	शून्य
2013-14	—	शून्य
2014-15	—	शून्य

(2) राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वास्तविक वित्तीय घाटा एवं सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत निम्नानुसार रखेगी—

2010-11	—	3 प्रतिशत
2011-12	—	3 प्रतिशत
2012-13	—	3 प्रतिशत
2013-14	—	3 प्रतिशत
2014-15	—	3 प्रतिशत

(4) (एक) राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कुल ऋण दायित्व तथा सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत निम्नानुसार रखेगी—

2010-11	—	22.00 प्रतिशत
2011-12	—	22.50 प्रतिशत
2012-13	—	23.00 प्रतिशत
2013-14	—	23.50 प्रतिशत
2014-15	—	23.90 प्रतिशत

(दो) राज्य सरकार वर्ष 2011-12 से प्रारंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिये सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत से अधिक का अतिरिक्त कुल दायित्व अनुमानित नहीं करेगी.

परन्तु आंतरिक व्यवधान अथवा प्राकृतिक आपदाओं या कोई ऐसा आपवादिक आधार जिसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, के कारण राज्य शासन के वित्त पर अप्रत्याशित मांगों के आधार या आधारों पर, राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं से बढ़ सकेगा."

धारा 6 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"6 (1) (क) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री (जो इसमें इसके पश्चात् वित्त मंत्री के रूप में निर्दिष्ट है) प्रत्येक तिमाही में बजट अनुमानों के संदर्भ में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षाओं के निष्कर्ष राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जायेंगे.

(ख) धारा 3 में विहित राजकोषीय संकेतकों की समीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यथा अधिसूचित राज्यस्तरीय समिति द्वारा वर्ष में कम से कम दो बार की जाएगी."

निरसन.

4. छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (क्रमांक 2 सन् 2011) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है.

रायपुर :

तारीख : 29-8-2011

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

अध्यादेश प्रख्यापित करने की परिस्थितियों के संबंध में ज्ञापन

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य विशिष्ट अनुदान एवं ऋण राहत प्राप्त करने हेतु शर्तों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 को तत्काल संशोधित करना आवश्यक था. चूंकि तत्समय विधान सभा सत्र में नहीं थी और विषय अत्यावश्यक एवं अविलम्बनीय प्रकृति का था, अतः छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (क्रमांक 02 सन् 2011) प्रख्यापित किया गया.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 3 की उपधारा (1), (2) एवं (4) तथा धारा 6 की उपधारा (1) का सुसंगत उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

1. धारा 3 (1) **वार्षिक लक्ष्य**— राज्य सरकार 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को कम करने के समुचित उपाय करेगी. राज्य वर्ष 2005-06 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नाममात्र राजस्व अधिशेष बनाये रखने का सभी प्रयास करेगी. परन्तु किसी भी परिस्थिति में राज्य निम्नानुसार राजस्व घाटे को अधिक नहीं बढ़ायेगी :—

वर्ष 2005-06	253.20 करोड़
वर्ष 2006-07	168.80 करोड़
वर्ष 2007-08	84.40 करोड़
वर्ष 2008-09 एवं आगे	शून्य राजस्व घाटा

* * * * * * * * * * * * * *

2. धारा 3 (2) राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2005-06 से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष 2004-05 के वास्तविक वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत का जितना हिस्सा 3 प्रतिशत से अधिक है. उसका कम से कम एक चौथाई राशि तक वित्तीय घाटा कम करेगी ताकि वित्तीय घाटा मार्च 2009 के अंत तक जी एस डी पी के 3 प्रतिशत से अनधिक तक लाया जा सके.

* * * * * * * * * * * * * *

3. धारा 3 (4) राज्य सरकार वर्ष 2005-06 से प्रारंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत से अधिक का अतिरिक्त कुल दायित्व अनुमानित नहीं करेगी.

परन्तु आंतरिक व्यवधान अथवा प्राकृतिक आपदाओं या कोई ऐसा विशिष्ट आधार जिसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें, के कारण राज्य के वित्त पर अप्रत्याशित मांगों के आधार या आधारों पर, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा इस उपबंध में विनिर्दिष्ट सीमाओं से इस शर्त के अध्यधीन बढ़ सकेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

4. धारा 6 (1) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री (जो इसमें इसके पश्चात् वित्त मंत्री के रूप विनिर्दिष्ट हैं) हर तिमाही में बजट अनुमानों के संदर्भ में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा करेंगे तथा ऐसी समीक्षाओं के निष्कर्ष विधान सभा के सदन में रखेंगे.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.